उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा,

दिनांकः 16 फरवरी, 2022

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 04/2022

राहुल विश्नोई– **आवेदक**

और

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य– **उत्तरदाता**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–श्री भुपेश काण्डपाल
उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता–श्री टी0सी0 अग्रवाल
राज्य की ओर से सहायक उप–महाधिवक्ता श्री पी0एस0 उनियाल,

माननीय आलोक कुमार वर्मा,

आवेदक–आरोपी राहुल विश्नोई द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए दिनांक 24.12.2021 को धारा 409, 420, 467, 467, 471 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन सिडकुल, जिला हरिद्वार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0357, वर्ष 2019 के संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया। जिला और सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार ने अग्रिम जमानत के लिए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत यह आवेदन आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत की मांग की गई है।

3. श्री भुपेश कांडपाल, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0सी0 अग्रवाल और राज्य की ओर से विद्वान सहायक उप महाधिवक्ता श्री पी0एस0 उनियाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया।

4. वर्तमान मामले के अनुसार, छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में, उत्तराखण्ड सरकार के प्रधान सचिव, गृह के पत्र दिनांक 17.04.2018 के माध्यम से एक विशेष जांच दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया था। इस आवेदन मामले की सूचना पाने वाले सब–इंस्पेक्टर ललिता चुफाल को विशेष जांच दल का सदस्य नियुक्त किया गया था। जांच के बाद, उसने मानव भारती विश्व विद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 14.10.2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की। जाँच पूरी होने के बाद मौजूदा आवेदक के खिलाफ आरोप–पत्र दायर किया गया है।

5. जाँच के दौरान सबूत मिले कि मौजूदा आवेदक एन पावर अकादमी का मालिक था। उक्त अकादमी आवेदक द्वारा संचालित और प्रबंधित की गई थी। आवेदक की उक्त अकादमी मानव भारती विश्व विद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। उक्त अकादमी के मालिक ने उक्त छात्रों की ट्यूशन फीस और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए संबंधित छात्रों की सूची समाज कल्याण विभाग को भेज दी थी। समाज कल्याण विभाग ने उक्त अकादमी को ट्यूशन शुल्क सहित छात्रवृत्ति धनराशि जारी की थी और उक्त धनराशि मौजूदा आवेदक, उक्त अकादमी के मालिक के खाते में जमा की गई थी।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भुपेश कांडपाल ने बताया कि आवेदक को इस मामले में फंसाया गया है। मानव भारती विश्व विद्यालय, सोलन मानव भारती चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था। उक्त विश्वविद्यालय ने 11 वर्षों में 17 राज्यों में 26,000 नकली डिग्री बेची थीं। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा कुल 41,000 डिग्री जारी की गई थीं, परन्तु लेकिन मात्र 5,000 डिग्री वास्तविक पाई गई थी। उक्त विश्वविद्यालय को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। हालाँकि, प्रासंगिक समय पर अर्थात i-e-2011–2012, उक्त विश्वविद्यालय सही विश्वविद्यालय था। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त छात्रवृत्ति और ट्यूशन शुल्क, आवेदक द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। आवेदक 50 लाख रुपये का ड्राफ्ट सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए जमा करने के लिए तैयार है।

7. श्री टी0सी0 अग्रवाल, विद्वान उपमहाधिवक्ता ने मौजूदा आवेदन का विरोध किया। उन्होंने बताया है कि जांच के दौरान, आवेदक के खिलाफ सबूत पाए गए हैं, जो एन पावर अकादमी का मालिक था। उक्त अकादमी काल्पनिक अकादमी थी। मानव भारती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के जांच के दौरान दर्ज किये गये बयान के अनुसार उक्त एन पावर अकादमी को उक्त विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे बताया कि `.2,59,20,300/–समाज कल्याण विभाग द्वारा मौजूदा आवेदक को जारी किया गया था। उक्त राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की गई थी और उक्त राशि आवेदक द्वारा गबन की गई थी।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि इससे पहले, आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया था और उस मामले में, उसने संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दस दिनों का अनुरोध किया था। उक्त आवेदन का तदनुसार निर्णय लिया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त अवसर और दस दिनों के समय का लाभ उठाते हुए, आवेदक ने आत्मसमर्पण करने के लिए और दस दिनों के समय का अनुरोध किया, लेकिन आवेदक ने संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि वर्तमान मामले में आवेदक के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अन्तर्गत गैर जमानती वारण्ट और आदेशिका जारी किये गये हैं, इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 01.02.2022 के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा द्वारा **''ममता गिरि बनाम यू.टी. राज्य''** में पारित किया गया गया है और बताया गया कि अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय है, भले ही गैर–जमानती वारंट और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के तहत आदेशिका जारी की गई हों।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की योजना उत्तराखंड राज्य द्वारा

अधिनियम संख्या 22/2020 के द्वारा शुरू की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 इस प्रकार है–

(1). जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे अजमानतीय अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए और न्यायालय अन्य सभी बातों के विचारों के साथ–साथ निम्न बातों को ध्यान में रखकर, अर्थात–

(i). आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता,

(ii). आवेदक का पूर्ववत जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कभी पूर्व में किसी संज्ञेय अपराध के बाबत में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर कारावास का दण्ड भोगा है या नहीं,

(iii). आवेदक के न्याय से भागने की संभावना, और

(iv). आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से आरोप लगाया गया है,

या तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार किया जायेगा या अग्रिम जमानत प्रदान करने का अंतरिम आदेश दिया जाएगा।

परन्तु यह कि जहाँ जैसी स्थिति हो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है या अग्रिम जमानत प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का यह विकल्प खुला रहेगा कि ऐसे आवेदन के आशंकित आरोप के आधार पर आवेदक को बिना वारंट गिरफ्तार कर ले।

(2). जहां उच्च न्यायालय या यथास्थिति, सत्र न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी करना समीचीन समझता है, वहां न्यायालय उसमें उस तारीख को इंगित करेगा,

जिस पर अग्रिम जमानत देने के आवेदन की अंतिम सुनवाई उस पर आदेश पारित करने के लिए की जाएगी, जैसा कि न्यायालय उचित समझे और यदि न्यायालय अग्रिम जमानत देने का कोई आदेश पारित करता है, तो ऐसे आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी, अर्थात–

(i). कि आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा,

(ii). कि आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकना सके,

(iii). कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और

(iv). ऐसी अन्य शर्तें जो खंड 437 की उपखंड (3) के अधीन अधिरोपित की जाएं. मानो जमानत उस खंड के अधीन मंजूर की गई हो।

स्पष्टीकरणः उपखंड (1) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर किए गए अंतिम आदेश का इस संहिता के प्रयोजन के लिए अंतर्वर्ती आदेश के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

(3). जहां न्यायालय उप–खंड (1) के अधीन अंतरिम आदेश देता है, वहां वह तुरंत लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को सुनवाई का एक उचित अवसर देने की दृष्टि से, ऐसे आदेश की एक प्रति के साथ, कम से कम सात दिन का नोटिस, लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को दिए जाने का कारण बनेगा, जब आवेदन की अंतिम सुनवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी।

(4). उप–खंड (2) के तहत अंतरिम आदेश में इंगित तिथि पर, न्यायालय

लोक अभियोजक और आवेदक को सुनेगा और उनकी दलीलों पर उचित विचार करने के बाद, वह अंतरिम आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है।

(5). उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, ऐसे आवेदन की तारीख के तीस दिनों के भीतर, उपधारा (1) के तहत अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन का अंत में निपटान करेगा,

(6). इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे –

(a) से उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए –

(i). गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967,

(ii). स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985,

(iii). आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923,

(iv). उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986) अनुकूलन और संशोधन आदेश, 2002

(v). भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376एबी या धारा 376डीए या धारा 376डीबी,

(vi). भारतीय दंड संहिता, 1860 का अध्याय 6, अर्थात् राज्य के विरुद्ध अपराध (धारा 129 को छोड़कर),

(vii). यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

(b). उन अपराधों में, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है।

(7). यदि इस खंड के तहत किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा किसी भी आवेदन पर सत्र न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

11. जमानत देने या देने से इनकार करने में समाज का महत्पूर्ण हित है, क्योंकि प्रत्येक आपराधिक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है। इसलिए, न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखना

चाहिए और जांच एजेंसी और समाज के बड़े पैमाने पर आवेदक के हित के साथ संतुलित करना चाहिए।

12. स्वीकृत रूप से छात्रवृत्ति राशि एन पावर अकादमी को जारी की गई थी और उक्त राशि मौजूदा आवेदक के बैंक खाते में जमा की गई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उक्त राशि आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तांतरित की गई थी। हालांकि, इस तर्क के संबंध में अदालत के समक्ष कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। पक्षों के बीच यह तथ्य भी स्वीकार है कि इससे पहले, आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया था, और आवेदक ने सम्बन्धित विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दस दिनों के समय का अनुरोध किया था। उक्त आवेदन पर तदनुसार निर्णय लिया गया। उक्त आवेदन पर निर्णय लेने के बाद, आवेदक ने फिर से संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दस दिनों के समय के लिए एक आवेदन दायर किया। समय दिया गया था। आवेदक ने संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। संबंधित अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के तहत एक गैर–जमानती वारंट और आदेशिका जारी की गई।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और एक अन्य, दिनांक 21.10.2021 में यह अवधारित किया है कि** ''उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि किसी को संहिता की धारा 82 के संदर्भ में भगोड़ा/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत के अनुतोष का हकदार नहीं है।''

14. **प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एस. सी. सी. 105** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आर्थिक अपराधों में अभियुक्त आम तौर पर अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

15. **निरंजन हेम चंद्र सशितल बनाम मे 642, महाराष्ट्र राज्य, (2013) 4 एस. सी. सी. 642 में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि भ्रष्टाचार को

डिग्री द्वारा नहीं आंका जाना चाहिए, भ्रष्टाचार मातृ विकार के लिए, प्रगति के लिए सामाजिक इच्छा को नष्ट करता है, अवांछित महत्वकाक्षाओं को गति प्रदान करता है। विवेक को मार देती हैं, संस्थानों के गौरव को नष्ट कर देती हैं, अपंग बना देती हैं, सभ्यता की भावना को नष्ट कर देती हैं और शासन के मज्जा को नष्ट कर देती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धन का अनैतिक अधिग्रहण ईमानदारी में विश्वास करने वाले लोगों की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, और पीड़ा इतिहास में दर्ज रहता है कि उन्होंने कैसे कष्ट सहे हैं और एकमात्र राहत देने वाला तथ्य यह है कि सामूहिक संवेदनशीलता इस तरह के कष्ट का सम्मान करती है, क्योंकि यह संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता पर जोर दिया गया।

16. **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम में C.B.I.(2014) 8 SCC 682** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र की दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना 1988 के अधिनियम का एक आवश्यक जनादेश है।

17. अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है, जहां अदालत का प्रथमदृष्टया यह विचार है कि आवेदक को अपराध में गलत तरीके से शामिल किया गया है। एक असाधारण उपाय होने के कारण, इसे केवल एक विशेष मामले में ही बहाल किया जाना चाहिए।

18. इस स्तर पर साक्ष्य पर गहराई से चर्चा करना अनुचित होगा, क्योंकि इससे निचली अदालत के प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन, जांच के दौरान एकत्र किये गये सबूत, साक्ष्य प्रथमदृष्टया सम्बंधित अपराध में आवेदक की संलिप्तता का संकेत मिलता है। आवेदक को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं पाया गया है।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अपनी

विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं मिलता है। अतः, इस न्यायालय का विचार है कि अग्रिम जमानत आवेदन में कोई बल नहीं है और यह अस्वीकार किए जाने योग्य है।

20. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4/2022 इस प्रकार अस्वीकार किया जाता है।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम जमानत आवेदन के संबंध में की गई टिप्पणियां इस स्तर पर पक्षों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के आलोक में निर्णय तक सीमित हैं कि क्या अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। उक्त टिप्पणियां इस मामले की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी।

आलोक कुमार वर्मा, जे.।

2